



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-03112025-267343
CG-KA-E-03112025-267343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4808]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 4808]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4963(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, कर्नाटक राज्य में सर्विस रोड और आरयूबी के साथ दो लेन आरओबी के निर्माण के लिए लेवल क्रॉसिंग नंबर 33 (पंडितनहल्ली गेट) के बदले में विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है:

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुरु-रायदुर्ग और तुमकुरु-दावणगेरे रेलवे परियोजना, तुमकुरु को लेवल क्रॉसिंग संख्या 33 (पंडितनहल्ली गेट) के बदले में आरओबी/आरयूबी के लिए

सर्विस रोड और आरयूबी के साथ दो लेन आरओबी के निर्माण के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी जानकार द्वारा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है:

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।
तुमकुरु-रायदुर्ग और तुमकुरु-दावणगेरे रेलवे परियोजना, तुमकुरु

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में सर्विस रोड और आरयूबी के साथ दो लेन आरओबी के निर्माण के लिए लेवल क्रॉसिंग संख्या 33
(पंडितनहल्ली गेट) के बदले पुलों की प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली
संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ज़िला: तुमकुरु
होबली: उर्दिगेरे

तालुका: तुमकुरु
गाँव: पंडितनहल्ली

क्र. सं.	स. सं.	लाभार्थी	अर्जित सीमा (एकड़ में - गुंटास)				भूमि का वर्गीकरण
			कुल (ए-जी)	ए खराब (ए-जी)	बी खराब (ए-जी)	शेष (ए-जी)	
1	50/3	बी.जी.गंगहनुमेगौड़ा पुत्र गंगप्पा	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	शुष्क
2	53/3	गौरम्मा पत्नी स्वर्गीय हनुमंथैया, लक्ष्मम्मा पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मैया	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	शुष्क
3	55/1	नरसाम्मा नरसिम्हैया और नरसिम्हामूर्ति के पुत्र, लक्ष्मैया पुत्र अंजनी, हनुमंथैया पुत्र अंजनी, गंगम्मा पत्नी सतीश, सिद्धैया पुत्र रमैया, एच. गंगाहनुमैया पुत्र हनुमानरसैया, चिक्काहनुमैया पुत्र हनुमैया, एल.नरसाहनुमैया पुत्र लेनकप्पा	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	शुष्क
4	56	डी.पी.नरसिम्हामूर्ति पुत्र स्वर्गीय डोड्डैया	0-01	-	-	0-01	शुष्क
5	56	कुललावडी इनाम, पुट्टहनुमा, दानहनुमा, संजीवा, गंगाहनुमाया, लेंकाहनुमा, गंगम्मा पत्नी हुचाहनुमा	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	शुष्क

6	57/6	एम.एन. लक्ष्मीकांतैया पुत्र नरसेगौड़ा	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	विमुख भूमि
7	सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से उत्तर की ओर पंडितनहल्ली गाँव की सड़क, क्रमांक 50/3 से क्रमांक 57/4 तक	0-33	-	0-33	-	सरकारी
कुल			1-06 1/2	-	0-33	0-13 1/2	-

अमूर्त			
शुष्क	विमुख भूमि	खराब	कुल
0-13	0-00 1/2	0-33	1-06 1/2

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/वें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 31st October, 2025

S.O. 4963(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special railway project, in lieu of Level crossing No. 33 (Pandithanahalli Gate) for construction of Two lane ROB with Service Road and RUB", in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority and Special Land Acquisition Officer, Tumakuru-Rayadurga and Tumakuru-Davanagere Railway project, Tumakuru for ROB / RUB's in lieu of level crossing No. 33 (Pandithanahalli gate) for construction of Two lane ROB with Service Road and RUB in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20 D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority and Special Land Acquisition Officer. Tumakuru-Rayadurga and Tumakuru-Davanagere Railway project, Tumakuru

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of bridges in lieu of Level crossing No. 33 (Pandithanahalli gate) for construction of Two lane ROB with Service Road and RUB in the state of Karnataka.

DISTRICT:
HOBBI: URDIGERE

TUMAKURU TALUK: TUMAKURU
VILLAGE: PANDITHANAHALLI

SI No	Sy No	Beneficiary	Acquired Extent (In Acres – Guntas)				Classification of land
			Total (A-G)	A Kharab (A-G)	B Kharab (A-G)	Balance (A-G)	
1	50/3	B.G.Gangahanumegowda S/o Gangappa	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	Dry
2	53/3	Gowramma W/o Late Hanumanthaiah, Lakshnamma W/o Late Lakshmaiah	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	Dry
3	55/1	Son of Narasamma Narasimhaiah and Narasimhamurthy, Lakshmaiah S/o Anjani, Hanumanthaiah S/o Anjani, Gangamma.S W/o Satheesh,Siddaiah S/o Ramaiah, H.Gangahanumaiah S/o Hanumanarasaiah, Chikkahanumaiah S/o Hanumaiah, L.Narasahanumaiah S/o Lenkappa	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	Dry
4	56	Narasimhamurthy.D.P S/o Late Doddaiah	0-01	-	-	0-01	Dry
5	56	Kulalavadi Inam, Puttahanuma, Danahanuma, Sanjeeva, Gangahanumaiah, Lenkahanuma, Gangamma W/o Huchahanuma	0-02 1/2	-	-	0-02 1/2	Dry
6	57/6	M.N.Lakshmikanthaiah S/o Narasegowda	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	Alienated Land
7	Road	National Highway-48 to Towards North Pandithanahalli Village road, From Sy.No.50/3 to Sy.No.57/4	0-33	-	0-33	-	Govt
Total			1-06 1/2	-	0-33	0-13 1/2	-

ABSTRACT			
Dry	Alienated Land	Kharab	Total
0-13	0-00 1/2	0-33	1-06 1/2

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction